141

राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.1(13)एमई / ग्रुप.1 / 95 जयपुर, दिनांक 3 FEB 2011

–: आदेश :–

राज्य के समस्त मेडीकल कालेजों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस विभाग के सम संख्यक आदेश, दिनांक 23.6.1995 एवं पत्र सं0 प. 1(105)एमई / ग्रुप–1 / 96 दिनांक 5.5.2003 के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति राज्य के संबंधित मेडिकल कालेज में प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठतम आचार्य को किया जावेगा।
2. वरिष्ठतम आचार्य के प्रधानाचार्य होने अथवा अनिच्छा व्यक्त करने पर द्वितीय वरिष्ठतम आचार्य को अतिरिक्त प्रधानाचार्य नियुक्त किया जावेगा।
3. अतिरिक्त प्रधानाचार्य के दो पद होने पर दूसरे पद पर प्रधानाचार्य राज्य सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त प्रधानाचार्य की नियुक्ति करेगें।
4. अतिरिक्त प्रधानाचार्य का पद पूर्णतया अवैतनिक पद होगा तथा इस पद का कार्य सम्पादन सम्बन्धित आचार्य द्वारा अपने शैक्षणिक दायित्व के अतिरिक्त किया जावेगा। इस हेतु संबंधित आचार्य को कोई विशेष वेतन अथवा भत्ता देय नहीं होगा।
5. अतिरिक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य स्व विवेक से अपनी कतिपय प्रशासनिक शक्तियां एवं दायित्व प्रत्यायोजित कर सकेगें।
6. प्रधनाचार्य के अवकाश पर जाने अथवा इस पद के किसी भी कारण से अस्थाई रूप से रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाचार्य के अवकाश काल की समाप्ति अथवा प्रधानाचार्य के पद को नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अन्य कोई आदेश होने तक प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार प्रथम अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
7. यह सुनिश्चित किया जावेगा कि चिकित्सक के विरूद्ध विभागीय जांच अथवा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कोई प्रकरण विचाराधीन न हो।

भवदीय

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर / अजमेर / जोधपुर / बीकानेर / उदयपुर / कोटा
6. अधीक्षक, समस्त शैक्षणिक चिकित्सालय, राजस्थान।
7. रक्षी पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

कार्यालय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा (राज.)

क्रमांक 397 दिनांक 24/2/2011

1. छाया प्रति समस्त विभागाध्यक्ष .... मेडिकल कॉलेज, कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. छाया प्रति मुख्य लेखाधिकारी / प्रभारी, वित्त शाखा (राजपत्रित) को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक